

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-24/2018/1014 /पांच-8-2018-जी0(290)/2017
लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-56(V)/19/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 09-11-2017 में 20 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य

क्रमशः

u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दिनांक 27-04-2018 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
 - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
 - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)
 - (3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
 - (4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
 - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
 - (8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
- 8- यदि नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, शासनादेश संख्या-1273/चि0-3-2015-जी0-

क्रमशः

u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

06/2013टी0सी0-1, दिनांक 26-05-2016 के माध्यम से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर तैनाती का विकल्प देते हैं, तो उन्हें स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-02-2014 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

- 9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी यह निर्धारित करें कि चिकित्सकों की आवश्यकता एवं विशेषज्ञता के दृष्टिगत उनकी तैनाती सामु0स्वा0 केन्द्र में विशेषज्ञ के पद के सापेक्ष की जाय। विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्राथ0स्वा0 केन्द्र पर कदापि तैनात न किया जाय।
- 2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी

सचिव।

संख्या-24/2018/1014(1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----शपथ पत्र डा0-----
----- पुत्र श्री/डा0-----निवासी-----जनपद-----
-----में डा0----- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय जान संख्या----- दिनांक -----द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक-----

सत्यापन

मैं डा0-----शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----पुत्र श्री-----
निवासी-----

को विगत-----वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-----मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----

निवासी-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय जाप संख्या-24/2018/1014/पांच-8-2018-जी0(290)/2017, दिनांक 26-03-2018 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र.सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-158	52320048534	डा0 सार्थक पाण्डेय/पुत्र श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय/म0नं0-20, हरलीपुरा, चिरईगांव, झांसी	सामान्य	झांसी	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़
2.	एस-189	52350020924	डा0 आशु भसीन गुप्ता/पुत्री श्री हरेन्द्र कुमार भसीन/पी-9, एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज कैम्पस, मेरठ	ओ0बी0सी0	मुजफ्फर नगर	एम0बी0बी0एस0/ डी0सी0एच0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), सहारनपुर
3.	एस-394	52320060378	डा0 श्वेता मिश्रा/पुत्री श्री श्रीकान्त मिश्रा/के-293-बी, आशियाना, लखनऊ-226012	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0/ एम0एस0 (आब्स एण्ड गायनी)	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), कानपुर नगर
4.	एस-397	52350024771	डा0 वीरेन्द्र वर्मा/पुत्रश्री काशी राम वर्मा/ग्राम-ददीरपुर, पो0-महबूबगंज, जिला-फैजाबाद	ओ0बी0सी0	फैजाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर
5.	एस-405	52320043937	डा0 राकेश मिश्रा/पुत्र श्री पी0डी0 मिश्रा/म0नं0-75, सिविल लाईन, गोण्डा	सामान्य	गोण्डा	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती
6.	एस-490	52350025099	डा0 शेखर सिंह/पुत्र श्री ब्रिजेश कुमार/ग्राम-सुनपुरा, पो0-वेदपुरा, तहसील-दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर-203207	ओ0बी0सी0	गौतमबुद्ध नगर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
7.	एस-509	52320029265	डा0 श्वेता गौतम/पुत्री श्री विजय कुमार गौतम/आफिसर फ्लेट नं0-1, सरोजनीनगर, नई दिल्ली	सामान्य	दिल्ली	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), मेरठ
8.	एस-653	52350013216	डा0 आलोक/पुत्र श्री राम धनी मौर्या/ वाई नं0-2, खमरिया, संतरविदासनगर भदोही-221306	ओ0बी0सी0	भदोही	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर
9.	एस-1012	52320015262	डा0 फातिमा शफात अली/पुत्री श्री शफात अली सिददीकी/484, 58, इरादत नगर, डालीगंज, लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), मेरठ
10.	एस-1100	52320021838	डा0 शालिनी पाण्डेय/पुत्री श्री मधुसूदन पाण्डेय/ग्राम व पो0-कोट पिपरा गौसाजयनगर, जिला-देवरिया-274603	सामान्य	देवरिया	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), अम्बेडकरनगर
11.	एस-1269	52320036061	डा0 पूनम बाजपेयी/पुत्री श्री कौशल किशोर बाजपेयी/न्यू कालोनी, तीसरी गली, जियामऊ, लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), हरदोई
12.	एस-1283	52350003671	डा0 स्वाती श्रीवास्तव/पुत्री श्री शिव कुमार श्रीवास्तव/नेहरूनगर, पंजाबी कालोनी, वी0एस0 नगर, खटीमा, उत्तराखण्ड	सामान्य	उत्तराखण्ड	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), बरेली
13.	एस-1396	52310013061	डा0 शिखा/पुत्री श्री दयानन्द/सी-92, लक्ष्मी पार्क, नानगलोई, दिल्ली-41	सामान्य	दिल्ली	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), बुलन्दशहर

क्रमशः----

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14.	एस-1578	52310018932	डा० गौरव पराशर/पुत्र श्री सी०बी० पराशर/म०नं०-100, वार्ड नं०-9, नैन मार्केट, पुराना फरीदाबाद, हरियाणा-121002	सामान्य	हरियाणा	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा
15.	एस-1728	52330003123	डा० राजवन्ती कौशिक/पुत्री स्व० राज नरायन बाबू/ग्राम व पो०-करसी, ब्लाक-नवानगर, थाना-नागरा, जिला-बलिया-221717	एस०सी०	बलिया	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी०एच०सी०), आजमगढ़
16.	एस-1774	52330014545	डा० प्रनव कुमार प्रिस/पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद/11/103, न्यू मल्हार, सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ	एस०सी०	लखनऊ	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
17.	एस-1779	52350028652	डा० अस्मिता विश्वकर्मा/पुत्री श्री आर०सी० विश्वकर्मा/17/9, कस्तूरबा गांधी मार्ग, इलाहाबाद	ओ०बी०सी०	इलाहाबाद	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी०एच०सी०), प्रतापगढ़
18.	एस-1973	52350030046	डा० जितेन्द्र चौधरी/पुत्र श्री ओम प्रकाश चौधरी/222/117ए-बी०एस०ए० कालेज राधिका विहार रोड, सुखदेव नगर, मथुरा	ओ०बी०सी०	मथुरा	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा
19.	एस-1993	52330003178	डा० अमित सिंह/पुत्र श्री वीरा सिंह/म०नं०-4219/2बी, शिव विहार कालोनी वाहारपुर एक्सचेंज रोड, सहारनपुर-247001	एस०सी०	सहारनपुर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर
20.	एस-2040	52350007339	डा० मौ० आरिफ समी/पुत्र श्री अब्दुल समी/हलवाईयान गली, नहटौर, जिला-बिजनौर-246733	ओ०बी०सी०	बिजनौर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।